


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्नाहेंडा)

धारा अर्न्तगत -136 तैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 863 / 2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 21/10/2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.सं.	नाम	खाता नंबर	रिपोर्ट	कलक्टर उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कपासन आदेश	
1	ईन्दरपुरा	50	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बड़ीदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>1. मागु पिता परसा गाडरी सा. केसरखेडी खालेदार साहिन बड़ीदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>1. मागु पिता परसा गाडरी सा. केसरखेडी खालेदार साहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p>	<p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू. स. अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम ईन्दरपुरा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 50 में वर्तमान प्रविष्टी बड़ीदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
	हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर	हस्ताक्षर निरदावर	हस्ताक्षर मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़